FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB PANCHKULA Year (वर्ष): 2018

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 28/12/2018 15:11 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1) C,D
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

   1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

   Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

   (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/12/2018 Time (समय): 14:35 hrs

   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date and Time (दिनांक और समय): 28/12/2018 14:37 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

      (b) Address (पता):

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

   (a) Name (नाम): INSP. NARENDER SINGH

   (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 05/03/1973 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

   (e) UID No. (यूआईडी सं.):

   (f) Date of Issue (जारी करने की तारीख): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

   (g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Sonipat, CIVIL LINE SONIPAT, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB SECTOR 17 PKL, SECTOR-14, PANCHKULA, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	HARISH MODGIL FIRE OFFICER		Father's Name: SH NAND RAM	1. C-538,GALI PANDIT CHOKHRAJ NEAR,RAMESWAR DAS HALWAI HALLU,BAZAR BHIWANI,BHIWANI CITY,BHIWANI,HARYANA,INDIA
2	HANUMAN CHAND SIHAG FIRE OFFICER			1. FLAT -754,7th FLOOR SEC 55 GURUGRAM,SECTOR-56,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला, श्रीमान जी, निवेदन है कि यह जाँच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 52/11/2010-1 चौकसी दिनांक 06.02.2013 की अनुपालना दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा के क्रमांक 1659/1-5 पंचकुला दिनांक 12.02.2013 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 52/11/2010/1 चौ0 II दिनांक 06.05.2014 की पालना में महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा के पृष्ठाकन 6277/I-7 रा0चौ0ब्यूरो पंचकुला दिनांक 15.05.2014 अनुसार प्राप्त हुई थी। जिसमें निम्नलिखित आरोपो की जाँच की जानी थी। निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा के पत्र कमांक 23.11.2009 अनुसार निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा ने आईसर कम्पनी से Chassi No 20-16 CABChassi No. 48000 MM wheel Base SVW 16200 Kg wth BS-III Complete engine सहित प्रति Chassis No 8,67,174/- रु0 की दर से खरीद की, इन वाटर बाउसर गाडियों की फैबरीकेशन (Fabrication) के लिए निदेशक आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा द्वारा दिनांक 31.03.2010 को आनलाईन निविदाए आमन्त्रित करने पर मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरज, अम्बाला सिटी, मैसर्ज विजय फायर विकल्स एंड पम्प लि0, मुम्बई, मैसर्ज गणेश उधोग इण्डिया लि0, दिल्ली, मैसर्ज वदिया वोडी बिल्डर, अहमदाबाद, मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0 लि0, कामसर, जिला सोनीपत और मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद ने अपनी-अपनी निविदांए आन लाइन भरी गई थी, जिसका ई0-टैण्डर 07.01.2010 को कार्यालय निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा में खोला गया। मैसर्ज गणेश उद्योग इण्डिया [illegible] केवल नि0 फर्मा मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0 लि0 कामसर, जिला सोनीपत व मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी ने ही भाग लिया। टैक्नीकल कमेटी ने मैसर्ज वदिया बोडी बिल्डर, अहमदाबाद, मैसर्ज विजय फायर विकल्स एंड पम्प लि0, मुम्बई व मैसर्ज गणेश उद्योग इण्डिया

लि0, दिल्ली की निविदाएं निदेशक आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा द्वारा मांगी गई निविदाओं अनुसार नहीं पाया। तत्पश्चात दिनांक 10.02.2010 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा की अध्यक्षता मे हाई पावर कमेटी की गोष्ठी हुई जिसमें निदेशक आपूर्ति एंव निपटान विभाग हरियाणा के अनुसार प्रस्तुत टैण्डरों अनुसार बकाया फर्मो के न्यूनतम मूल्य निम्न अनुसार पाए :-

फर्म का नाम वाटर वाउजर का निर्धारित मूल्य वाटर कन्फर्म टैण्डर का निर्धारित मूल्य

मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद 17,49,500 15,57,929.00

मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी 17,50,000 15,35,000.00

मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0लि0, कामसर, जिला सोनीपत 16,98,000 15,94,000.00

हाई पावर कमेटी ने 17 वाटर बाउसर कीमत 16,98,000 प्रति वाटर वाउजर की फैबरीकेशन कार्य का आदेश मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0लि0, कामसर, जिला सोनीपत को तथा 11 वाटर कन्फर्म टैण्डर 15,35,000/- रुपये प्रति गाडी मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी को अलाट किया। जिस पर मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी व मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद ने दिनांक 15.02.2010 को मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0 लि0, कामसर जिला सोनीपत को कार्य देने के सम्बन्ध मे विभाग को सूचित किया कि इस फर्म ने जो टैण्डर में 25 दमकल गाडियां हाई/ लो प्रेशर पम्प के साथ भारतीय वायु सेना को सप्लाई करनी दिखाई हैं, वह गल्त है । इस फर्म ने केवल 15 दमकल गाडियां ही सप्लाई की थी, जो टैण्डर की शर्तों को पूरी नही करती । जिसके सम्बन्ध में विभाग के पडताल करने पर निदेशक क्रय विभाग वायु भवन नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 16.08.2010 द्वारा विभाग को सूचित किया कि मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0लि0, कामसर जिला सोनीपत का प्रोफार्मा सर्टिफिकेट सही नही है और इसकी कोई भी प्रति मिशल में उपलब्ध नही है, जिस स्थिति में यह प्रोफार्मा सर्टिफिकेट साईन हुआ है वह हस्ताक्षरकर्ता सेवानिवृत हो चुका है। दिनांक 07.09.2010 को हाई पावर परचेज कमेटी की मिटिंग माननीय वित मन्त्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता मे हुई जिसमें मैसर्ज अशोका हाईटैक प्रा0लि0, कामसर, जिला सोनीपत की अग्रिम राशी समाप्त करने तथा फर्म के विरुद्व कार्यवाही करते हुए टैण्डर से डिबार किया और L-2 व L-3 की फर्मो के टैण्डरों को L-1 मानकर वाटर बाउसर फैबरीकेशन प्रति वाटर बाउसर गाडी 16,98,000/- रुपये कुछ शर्तों के साथ निर्धारित करके मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी व मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद को देने का फैसला किया । जिस पर यह दोनो फर्म सहमत हो गई। निदेशक, आपूर्ति एव निपटान विभाग हरियाणा के पत्र दिनांक 15.09.2010 अनुसार मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद को 9 वाटर बाउसर तथा मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी को 8 वाटर बाउसर की फैबरीकेशन प्रति वाटर बाउसर 16,98,000/- की दर से करने का आपूर्ति आदेश दिया गया। मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी ने 8 वाटर बाउसर गाडियों की फैबरीकेशन करके अम्बाला व यमुनानगर परिषद सहित अन्य नगर परिषद व नगर पालिकाओं मे सप्लाई दी और विभाग से चैक न0 84612 दिनांक 04.03.2011 अनुसार 1,35,84,000/- रुपये का भुगतान प्राप्त किया तथा मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद ने गुडगाँव नगर निगम सहित अन्य नगर परिषद व नगर पालिकाओं में 9 वाटर बाउसर गाडियों को सप्लाई दी और विभाग से चैक न0 741975 दिनांक 12.01.2011 के अनुसार 1,52,82,000/- रुपये का भुगतान प्राप्त किया। उपरोक्त दोनो फर्मो द्वारा जो वाटर बाउसर की फैबरीकेशन की गई थी, उनका निरीक्षण श्री हरीश मुदगिल, अग्निशमन अधिकारी, अम्बाला शहर व श्री हनुमान चन्द सिहाग, राज्य अग्निशमन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ (सेवानिवृत) ने किया। अम्बाला कोच बिल्डर द्वारा सभी गाडियों की फैबरीकेशन एक ही तरह से की थी । जिनमें से रैण्डम आधार पर फायर स्टेशन, यमुनानगर को सप्लाई की गई गाडी की फैबरीकेशन का मुल्यांकन कार्यकारी अभियन्ता राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से करवाया गया । जिनकी तकनिकी रिपोर्ट अनुसार प्रत्येक गाडी में 241.32 किलोग्राम एल्यूमिनियम शीट कम लगानी पाई । इस प्रकार 8 वाटर बाउसर गाडियों में 1930.56 किलोग्राम एल्यूमिनियम शीट कम पाई गई, जिसका 242.30 रुपये की दर से 4,67,775/- रुपये मूल्य बनता है, जिसकी रिकवरी पैनल रेट के अनुसार 9,35,550/- रुपये बनती है। मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद को 9 वाटर बाउसर की फैबरीकेशन का कार्य अलाट हुआ था। विभाग ने इन 9 वाटर बाउसर गाडियों की फैबरीकेशन का चैक न0 741975 दिनांक 12.01.2011 के अनुसार 1,52,82,000/- रुपये का भुगतान मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद फर्म को किया जाना पाया, जिसने शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा की गुडगाँव, फरीदाबाद, बहादुरगढ, हिसार, बरवाला, नूह, रिवाडी नगरपालिका/ नगर परिषद/ नगर निगम को आपूर्ति की । इन वाटर बाउसर गाडियों का निरीक्षण श्री हरीश मुदगिल अग्निशमन अधिकारी, अम्बाला, व श्री हनुमान चन्द सिहाग, राज्य अग्निशमन अधिकारी, हरियाणा, चण्डीगढ (सेवानिवृत) ने दिनांक 24.12.2010 से 26.12.2010 तक किया । मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद ने अपने पत्र दिनांक 16.11.2017 में बतलाया कि उसने जो 9 वाटर बाउसर गाडियों की फैबरीकेशन करके आपूर्ति (Supply) की है । उन सभी गाडियों की फैबरीकेशन एक जैसी ही की गई है । उपरोक्त 9 वाटर बाउसर गाडियों में से गुडगॉव नगर निगम को दी गई दो गाडियां, जिनके Chassis No. MC 230 KRCOAAO 15996, Engine No. E683 CDAA 501543 जिसका रजिस्ट्रेशन न0 HR55M-2090 व Chassis No. MC 230 KRCOAAO 15997, Engine No. E683 CDAA 501544 जिसका रजिस्ट्रेशन न0 HR55M-2000 का उप मण्डल अभियन्ता, रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा से दिनांक 06.11.2017 को मूल्यांकन करवाया गया । जिनकी तकनिकी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक गाडी में 111.53 किलोग्राम एल्यूमिनियम शीट कम लगानी पाई गई, जो 9 वाटर बाउसर में 1003.77 किलोग्राम एल्यूमिनियम शीट कम लगाई जानी पाई । जिसका 242.30 प्रति किलोग्राम की दर से 2,43,213/- रुपये बनता है । जिसकी पैनल रेट के अनुसार कुल रिकवरी 4,86,426/- रुपये बनती है। इस सम्बन्ध में हरीश मुदगिल (सेवानिवृत दिनांक 31.12.2014) ने बतलाया कि उस समय वह अम्बाला में अग्निशमन अधिकारी तैनात था तथा उसने व श्री हनुमान चन्द सिहाग ने दिनांक 24.12.2010 से 26.12.2010 तक 9 गाडियों की फैबरीकेशन का निरीक्षण श्री टिकोण हैदराबाद 7-78, प्लाट न0 136/बी0, एस0बी, को0-ओ0 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बोला राम, जिला मैडक, हैदराबाद ने किया था, जो जॉच में शामिल भी हुये है। अत : मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी से 9,35,550/- रुपये तथा मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद 7-78, प्लाट न0 136/बी0, एस0बी, को0-ओ0 इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बोला राम, जिला मैडक, हैदराबाद से 4,67,475/- रुपये रिकवरी बनती है । हरीश मुदगिल (सेवानिवृत दिनांक 31.12.2014) व हनुमान चन्द सिहाग (सेवानिवृत दिनांक 29.02.2012) तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी ने मैसर्ज अम्बाला कोच बिल्डरस, अम्बाला सिटी की वाटर बाउसर गाडियों फैबरीकेशन का निरीक्षण दिनांक 16.02.2011 को किया तथा इन्होने ही मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद को वाटर बाउसर गाडियों फैबरीकेशन का निरीक्षण दिनांक 24.12.2010 से 26.12.2010 तक किया। जिन्होने उपरोक्त फर्मो द्वारा सप्लाई की गई वाटर बाउसर गाडियों फैबरीकेशन का निरीक्षण ठीक प्रकार से न करके फर्मो मिलीभगत करके अपने-अपने पदों का दुरुपयोग करके मैसर्ज अम्बाला कोट बिल्डरस, अम्बाला सिटी को 9,35,550/- रुपये तथा मैसर्ज श्री टिकोण हैदराबाद को 4,67,775/- रुपये का अनुचित 406,409,420,467,468,471,120 बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0 भ्रष्टाचार उन्नमूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया जाने पर अन्तिम रिपोर्ट मुकदमा दर्ज किये जाने के सुझाव सहित महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के माध्यम से अतिरिक्त

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेजी गई थी । जॉच रिपोर्ट का परीक्षण करने उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र 52/11/2010-2 वी-II दिनांक 03.12.2018 अनुसार रिपोर्ट हरीश मुदगिल, तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी व हनुमान चन्द सिहाग, तत्कालीन अग्निशमन अधिकारी के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए है। लिहाजा तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा अरसाल थाना है। स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे और बाद कायमी मुकदमा अफसरान बाला से आगामी तफ्तीश के आदेश प्राप्त करने उपरान्त मिशल मुकदमा मय रिकाई सहित सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी के हवाले की जावे और तफ्तीश के दौरान यदि अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी की मिली-भगत पाई जावे तो उसे भी तफ्तीश के दौरान देख लिया जाये । Sd नरेन्द्र सिंह निरीक्षक, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला दिनांक 28.12.2018 at 2.30 pm. अज थाना- उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 06 दिनांक 28.12.2018 धारा 406,409,420,467,468,471,120 बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0 भ्रष्टाचार उन्नमूलन अधिनियम 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो सैक्टर 17 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्पैशल रिपोर्ट बादस्त स्पैशल मैसेन्जर सि0-1 अनिल कुमार 641/यमुनानगर के इलाका मैजीस्ट्रेट साहब पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल आगामी अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करने के लिए उच्च अधिकारियों को अलग से पत्र लिखा जाएगा। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Narender Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Narender

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~Suresh Kumar~~ Narender

Rank (पद): ~~Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)~~ HC

No. (सं.): ~~No.~~ 227 | KTL

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):